



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्राचीन भारत के गाँवों में सामाजिक—आर्थिक विकास

सुस्मिता कुमारी

रिसर्च स्कॉलर

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश : ग्रामीण विकास के बाद ही देश की समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। अधिकांश ग्रामीण अंचल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद एवं संकिर्णता रुद्धिवादिता के साथ ही साथ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा एवं यातायात, संचार, स्वास्थ्य, सिंचाई प्रोजेक्ट के विकास की गति अतिमन्थर है। राष्ट्रीय आय में उसका योगदान निरंतर घटता जा रहा है। कृषि एवं उससे संबंधित क्रिया-कलापों के द्वारा ही भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव है। देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। कुल कृषित भूमि के 72 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलों एवं 28 प्रतिशत भाग व्यापारिक फसलों द्वारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी सम्भव है जब देश के सम्पूर्ण सामाजिक—आर्थिक विकास हेतु एक समेकित योजना बनाई जाय, जिसमें ग्रामीण अंचलों को प्राथमिकता दी जाय। ऐतदर्थ देश में ऐसे नियोजन एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर ग्रामीण समाज के विपन्न लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

परिचय

भारत गाँवों का देश है। इसकी तीन चौथाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः भारत का विकास करने के लिए उसके गाँवों का विकास करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन के लिए वायु। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा ही रह जायेगा, जब तक हमारे सभी गाँवों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। आज आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता जीवन के बुनियादी जरूरतों के पूर्ति के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहीं हैं। गौरतलब है कि भारत की 72% से अधिक आवादी आज भी गाँवों में ही निवास करती है। परन्तु जनसंख्या के अनुपात में इन्हें भारत के आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी असंख्य गाँव विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं।

अपने को जन हितैषी तथा विकास का नारा बुलन्द करने वाली सरकार ने भी कभी ग्रामीण समस्याओं को गम्भीर रूप से नहीं लिया है। प्रायः हर सरकार सुसंगठित शहरी जनता को ही खुश करने में लगी रही है।

एक बात और भी ध्यान देने के योग्य है कि जो गाँव शहर के जितने पास है, उनके विकास की सम्भावनाएं उतनी ही अधिक बनी रहती है। परन्तु दूर-दराज के पिछड़े गाँवों के प्रति न तो केन्द्र सरकार, न ही राज्य सरकार और न ही जिला प्रशासन अपना कर्तव्य निभा पाता है।

यही कारण है कि हमारे गाँव सभ्यता की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। जहाँ कभी दूध की प्रचुरता हुआ करती थीं वहीं आज स्थिति में परिवर्तन होकर बच्चों को पिलाने के लिए दूध मुहर्सर नहीं हो पा रहा है। इस असन्तुलन को कम करने के लिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने वृन्दावन में ग्राम सेवकों को सम्बोधित करते समय प्रस्तुत विचार दिया था जो अक्षरशः सत्य लगता है; यह देख कर बहुत दुःख होता है कि आप लोगों में से अधिकांश लोग या तो शहरों से आये हैं या शहरी जीवन के अभ्यस्त हैं। जब तक आप अपना मन शहर से हटाकर गाँवों में नहीं लगायेंगे तब तक गाँवों की सेवा आप नहीं कर सकतें। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान गाँव से बना है, शहरों से नहीं।

ग्रामीण विकास के बाद ही देश की समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। अधिकांश ग्रामीण अंचल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद एवं संकिर्णता रुद्धिवादिता के साथ ही साथ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा एवं यातायात, संचार, स्वास्थ्य, सिंचाई पेयजल आदि के अभाव की समस्याएँ विद्यमान हैं। इन समस्याओं के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि के विकास की गति अतिमन्थर है। राष्ट्रीय आय में उसका योगदान निरंतर घटता जा रहा है। कृषि एवं उससे संबंधित क्रिया-कलापों के द्वारा ही भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव है। देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। कुल कृषित भूमि के 72 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलों एवं 28 प्रतिशत भाग व्यापारिक फसलों द्वारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी सम्भव है जब देश के सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक समेकित योजना बनाई जाय, जिसमें ग्रामीण अंचलों को प्राथमिकता दी जाय। एतदर्थ देश में ऐसे नियोजन एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर ग्रामीण समाज के विपन्न लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकें।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास विद्वानों में सदैव से ही शोध का एक प्रमुख विषय रहा है। इसके लगभग प्रत्येक पहलु का केन्द्रीय सरकारें, राज्य सरकारें और अन्य संस्थायें मूल्यांकन करा चुकी हैं फिर भी यह कहना कठिन है कि ग्रामीण विकास के बारे में व्यवस्थाओं संबन्धी विचारधारा और चिन्तन कितना सुस्पष्ट है? 'ग्रामीण विकास' मूलतः दो शब्दों— 'ग्रामीण' और 'विकास' से मिलकर बना है। जहां ग्रामीण से तात्पर्य गाँव से वहीं विकास से अभिप्राय कालानुक्रमिक सम्बद्धन से है। इस प्रकार विकास एक व्यावहारिक संकल्पना है जिसका आशय प्रगति, उत्थान एवं सभी क्षेत्रों में वांछित परिवर्तन लाना है। गाँव की अपनी कुछ विशिष्टतायें होती हैं। जिनके कारण वे सांस्कृतिक प्रतिमानों, जीवन—प्रणाली, अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं सामाजिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में नगर से भिन्न होता है। प्रशासन की लघुत्तम इकाई गाँव होती है। ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ—मानवीय कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक—आर्थिक ढांचे में लाभदायक परिवर्तन। यही विकास का मुख्य लक्ष्य होता है। ग्रामीण विकास के लिए यह जरूरी होता है कि ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तनों को अपने में समाहित कर आर्थिक और सामाजिक विकास की गतिविधियों को उत्प्रेरित करें जिससे एक स्वस्थ, सुदृढ़, भयमुक्त, समतापरक और परस्पर सहयोगात्मक ग्रामीण समाज का निर्माण हो सके।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकासखण्डों की स्थापना (1952) की गयी और सभी विकास कार्यक्रमों को एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) इस योजना का उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्व की योजना से विस्तृत एवं महत्वाकांक्षी थी। इसके तहत प्रमुखतया आम नागरिक की आय में पर्याप्त वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार, आधारभूत एवं भारी उद्योगों के द्वारा देश का औद्योगीकरण, रोजगार के अवसरों का विकास एवं आय तथा सम्पत्ति की असमानता में कमी इत्यादि पहलुओं पर विशेष बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) : इस योजना में पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य रहा। परिणामतः कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया जो तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक थीं। इस दौरान राष्ट्रीय आय में 5% की वार्षिक वृद्धि, पूंजी निवेश पर आधारित विकास को सुदृढ़ करना एवं अन्न उत्पादन में स्वावलम्बन प्राप्त करना आदि इस योजना के प्रमुख लक्ष्य रहे।

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों की सफलता एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनेक ऐसे विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधन स्रोतों पर आधारित थी जैसे—कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।

वर्ष 1965 में भारत—पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, दो वर्ष तक लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्य के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। फलस्वरूप इसके स्थान पर चौथी योजना के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सन् 1966 से सन् 1969 तक तीन वार्षिक योजनायें बनायी गयी। इस अवधि को 'योजना—अवकाश' कहा गया। इन योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास हेतु विशेष प्रावधान नहीं किया जा सका। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969—74) : इस योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक एवं मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना एवं विदेशी सहायता में कमी लाना प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये। इस योजनावधि में 'लघु कृषक विकास कार्यक्रम' एवं 'सीमान्त कृषक कार्यक्रम' को क्रियान्वित कर एक विशेष समूह को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। साथ ही 'चूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' भी इसी योजना में क्रियान्वित किया गया। श्रम परक उद्योगों पर अधिक ध्यान देने की बात कही गयी। पंचम पंचवर्षीय योजना (1974—79) : इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन, आर्थिक विकास में पर्याप्त वृद्धि, आधुनिकीकरण को बढ़ावा, जनसंख्या नियन्त्रण, आय का उचित वितरण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्चदर को बढ़ावा देना था। इसी योजना में 'अन्त्योदय कार्यक्रम' और 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' क्रियान्वित किये गये। सकल घरेलू उत्पाद में 5.5% प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। षष्ठम् पंचवर्षीय योजना (1980—85) : इस योजना का प्रारम्भ एक राजनीति परिवर्तन की अवधि सन् 1977—78 में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लम्बी अवधि यानी दो दशक से अधिक अन्तराल के बाद राष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन हुआ। छठीं योजना की शुरुआत जनता पार्टी के शासन काल के दौरान की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र रोजगार का विस्तार करना, जन उपयोग की वस्तुयें तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्न आय वर्गों की आय बढ़ाना था। परन्तु जब कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आयी तो छठीं योजना (1980—85) तैयार की गयी। इसमें विकास के 'नेहरू मॉडल' को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था। सप्तम् पंचवर्षीय योजना (1985—90) : सातवीं योजना में खाद्यानों की वृद्धि, ऊर्जा का विकास, रहन—सहन के स्तर में सुधार एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ानें वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया। इस दौरान छठीं योजना के सभी कार्यक्रम तथा ग्रामीण महिला एवं शिक्षा विकास कार्यक्रम का विलय करके 'जवाहर रोजगार कार्यक्रम' की शुरुआत की गयी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना तथा लोगों के समग्र जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में वृद्धि, बराबरी एवं सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को मुख्य रूप से अपनाया गया। अष्टम पंचवर्षीय योजना (1992—97) : देश में राजनीतिक उथल—पुथल एवं सत्ता हस्तान्तरण के कारण आठवीं योजना दो वर्षों के विलम्ब

के साथ 1 अप्रैल सन् 1992 को शुरू की गयी। इस योजना के तहत् ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इसमें जनसंख्या नियन्त्रण, रोजगार के अवसर में वृद्धि तथा प्राथमिक और अधिक पिछड़े जनपदों के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधनों की व्यवस्था की गयी। इस योजनावधि में मृदा अपरदन, बंजर भूमि और परती भूमि का विकास एवं उपयोग, जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों तथा घरों के निर्माण आदि को प्राथमिकता दी गयी। नवम् पंचवर्षीय योजना (1997–2002) : इस योजनावधि में न्यूनतम साझा कार्यक्रम, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना, गंगा कार्य योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, आदि कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया। इसमें नवीन उद्योगों की स्थापना एवं वर्तमान उद्योगों के विस्तार का लक्ष्य रखा गया, जिससे रोजगार के नवीन अवसर पैदा हों और लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। 2 अक्टूबर सन् 2002 को योजना आयोग की बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी गयी। इस योजना में पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ—साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गयी। 8. विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छ: सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी— (1) कर सुधारों को तेज किया जाना (2) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली को लागू करना (3) वित्तीय सूझबूझ की प्रक्रिया अपनाना (4) निवेश के एक—एक रूपये पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता सुनिश्चित किया जाना (5) मौजूदा परिस्मृतियों को उन्नत बनाना (6) सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।

23 जनवरी सन् 2003 को योजना आयोग ने आने वाले दो दशकों में अर्थव्यवस्था की पूर्वाकलन करने वाला महत्पूर्ण दस्तावेज 'इण्डिया विजन—2020' जारी कर दिया है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार इस दस्तावेज में आशा व्यक्त की गयी है कि 2 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर से रोजगार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर सन् 2020 तक सृजित किये जा सकेंगे। साथ ही साथ 2 फरवरी सन् 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपी०४० अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के लिए एक महत्पूर्ण निर्णय लिया है।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामीण विकास को बराबर प्राथमिकता दी गयी है। परन्तु स्वतंत्र भारत में नियोजन की एकहत्तर वर्षीय लम्बी यात्रा के वर्तमान मोड़ पर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब केन्द्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश के लिए एक समान योजनाएं बनायी गयी तथा विकास कार्यक्रम संचालित हुए तो ऐसे क्या कारण रहें कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पंजाब तो अधिक विकसित हो गये किन्तु भरपूर संसाधनों से युक्त बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पिछड़ गये। स्पष्ट है कि इसका उत्तर हमारी स्थानीय संस्कृति, मानसिकता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित जन जागरूकता के मापदण्डों में समाहित है। कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि भारत में योजनाओं का वैधानिक आधार नहीं है। यही कारण है कि योजनाओं या विकास कार्यक्रम असफल रहने पर सरकार को न्यायालय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः समस्या योजनाओं की अवैधानिकता की कम तथा प्रशासनिक तन्त्र की अक्षमता अप्रतिबद्धता

तथा राष्ट्र प्रेम के अभाव से अधिक जुड़ी है। मंदिर, तलाब, तालाबों में घाट, कुरुँ आदि बनवाना इस समाज में दानवीरता के सहज उदाहरण हैं। इसके अलावे पाठशालाओं के लिए दान भी उदारता से दिए जाते थे। इस दानशीलता में बिहार के ग्राम्य जीवन की आत्मा बसती थी। जिसे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भौतिक संस्कृति की उपज वाला कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था। इस आत्मा को यहाँ का भिक्षुक ही समझता था, जो गृहस्थ से दान लेकर दाता को मात्र वरदान एवं शुभाशीष देता था। जिसे उन्नीसवीं शताब्दी का भौतिक वाद शनैः शनैः निगल गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस० के० सेन की एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल, वी० वी० सिंह (सं) इकॉनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1986
2. गिरीश मिश्र की एग्रेरियन प्राब्लेम्स ऑफ परमानेन्ट सेटेलमेंट रु ए केस स्टडी ऑफ चम्पारण, 1972
3. धर्म कुमार एवं तपन रायचौधरी सम्पादित कैम्ब्रिज इकॉनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2004
4. के० एन० चौधरी सम्पादित द इकॉनोमिक डेवलपमेंट ऑफ इण्डिया अण्डर द ईस्ट इंडिया कम्पनी रु 1814—58,
5. एस० के० झा एवं वीणा झा की द इकॉनोमिक हेरिटेज ऑफ मिथिला, 1999
6. अरविन्द एन० दास की शद रिपब्लिक ऑफ बिहार, गिरीश मिश्र की आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, 2007
7. प्रकाश जगदीश-राज्य एवं व्यवसाय (2003) प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
8. मिश्रा एवं पुरी-भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
9. जगदीश नारायण मिश्र भारतीय अर्थव्यवस्था (1979) किताब महल, इलाहाबाद।
10. रुद्रदत्त एवं के०पी०एस० सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था (1966) एस० चन्द्र, नई दिल्ली।
11. Bertrand, 1991, Rural Sociology, pp. 9-10.
12. Chambers, Robert, 1983, Rural Development, putting the Last First, Longmans Group Ltd., p. 147.
13. Copp, J.H., 1972 Rural Sociology and Rural Development, I" 01.37, No. 4 pp. 515-533.
14. Misra, R.p. and Sundaram, Rural Development,perspective and 1979 Approaches sterling pvt. New Delhi, p. 428.
15. Sen, L.K. (ed) 1972, Micro-Level Planning and Rural growth centres, NICD Hyderabad pp.
16. Todaro, M.p., 1977, Economics for a Developing world, Long Mans Group Ltd. London, p. 249.

पत्रिकाएं एवं जर्नल्स

- योजना – 583 योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली।
- कुरुक्षेत्र – नई दिल्ली।
- एकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली।
- दी कामर्स जर्नल–वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

